भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3834
दिनांक 12 अगस्त, 2025 /21 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

लैंड पूलिंग नीति

†3834. श्री मनीश तिवारी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पंजाब और हरियाणा में लागू किए गए मॉडलों के अनुरूप संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ के 22 परिधीय गांवों के लिए लैंड पूलिंग नीति की संरचना क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे मॉडल पर विचार किया है जिसके अंतर्गत विस्थापन को कम करने, लंबी मुकदमेबाजी को रोकने और समावेशी शहरी विस्तार को बढ़ावा देने के लिए भूमि मालिकों को वित्तीय मुआवजे के स्थान पर पुनर्गठित और विकसित भूखंडों का प्रस्ताव दिया जाए;

(ग) क्या सरकार की चंडीगढ़ के विशिष्ट प्रशासनिक और नियोजन ढांचे के अनुरूप समयबद्ध लैंड पूलिंग नीति के माध्यम से सार्वजनिक-निजी भागीदारी-आधारित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मसौदा नीति, प्रस्तावित परामर्श प्रक्रिया और कार्यान्वयन की अपेक्षित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा कोई लैंड पूलिंग नीति नही बनाई गई है और न ही ऐसी कोई नीति विचाराधीन है|

******